न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	19/2019.
सी.आई.एस. नंबर	–	20/2019.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	121/2019 पुलिस थाना सरवाड़.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130007482019.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. सूरजकरण पुत्र नन्दा आयु 45 वर्ष.
2. प्रहलाद पुत्र अमरा आयु 19 वर्ष.
3. रतनलाल पुत्र सूरजकरण आयु 19 वर्ष.
4. अशोक कुमार पुत्र अमरा आयु 21 वर्ष.
5. मुकेश कुमार पुत्र सूरजकरण आयु 21 वर्ष.
   निवासीगण सिनोदिया, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.)
6. जीवराज पुत्र जसराज आयु 28 वर्ष, निवासी गोयला, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर.
7. अमरा पुत्र नन्दा आयु 60 वर्ष,निवासी सिनोदिया, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.) **(फौत).**

.. अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 147, 427, 341, 323, 325, 354, 307 भा.दं.सं.
सपठित धारा 149 भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. श्री मोहिन्दर कुमार जोशी, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.
2. श्री अजय पारीक व भंवरसिंह, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण.

––––––

– **निर्णय** – **दिनांक 04 जून 2026**.

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25–05–2019 को परिवादी रामदेव ने सी.एच.सी. सरवाड़ पर पुलिस थाना सरवाड़ को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25–05–2019 को वह, हगामा, लादी, सांवरलाल व दो अन्य कारीगर तथा चार मजदूर खेत के पास सिनोदिया में उनके कुए की बधाई का काम कर रहे थे। समय करीब 4.30 बजे अभियुक्त अमरा, सूरजकरण, नारायण, अशोक, प्रहलाद, मुकेश, रतन, हाली, गिरधारी, जीवराज, भैरू, मंगल सभी एकराय होकर जाने से मारने की नीयत से हाथों में लकड़ियां, कुल्हाडियां, लोहे के पाईप लेकर उनके कुए पर आ गए व आते ही उन पर हमला बोल दिया। हगामा के सिर में सूरजकरण ने कुल्हाड़ी की मारी, अमरा ने लोहे के पाईप से हगामा के पैर में मारी। हगामा के हाथ में जीवराज ने लकड़ी की मारी तथा लादी जो गर्भवती है, उसकी अशोक व मुकेश ने लूगड़ी उतार दी व लज्जा भंग की व नीचे गिराकर पेट में लात–घूंसों से मारपीट कर गर्भ गिराने की कोशिश की। रामदेव ने नारायण ने लकड़ी की मारी, जिससे दोनों हाथ, पैरों में सूजन आ गई। राधादेवी के भैरू व गिरधारी के मारपीट की, जिससे उनके भी चोटें आई। उसका लड़का सांवरलाल जान बचाकर भाग गया। कुढ पर रखे इंजिन को नीचे गिरा दिया। मौके पर मौजूद कारीगरों व मजदूरों ने बीच–बचाव कराया, नहीं तो जान से मार देते, आदि।

02– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–121/2019 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 354, 427, 307 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण सूरजकरण, अमरा, प्रहलाद, रतनलाल व जीवराज के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 325, 307, 427 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण अशोक कुमार व मुकेश कुमार के विरूद्ध धारा 143, 341, 325, 354, 307, 427 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़, जिला–अजमेर में पेश किया न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़ द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 307 भा.दं.सं. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

03– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण सूरजकरण, अमरा, प्रहलाद, रतनलाल व जीवराज को धारा 147, 341, 323, 325, 307, 427 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण अशोक कुमार व मुकेश कुमार को धारा 147, 341, 325, 354, 307, 427 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप को सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	शंकर	नक्शा—मौका घटनास्थल.
PW-02	राजकुमार	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-03	रामदेव	परिवादी/शिकायतकर्ता.
PW-04	श्रीमती लादी	पीड़िता, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-05	श्रीमती राधा	आहता, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-06	हरिकिशन	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-07	हगामा	आहत, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-08	सांवरलाल	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-09	सुनीता	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-10	ओमप्रकाश	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-11	शंकर	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-12	गोवर्धन	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-13	सीताराम	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-14	मुकेश कुमार	फर्द बरामदगी बबूल की लकड़ी, लोहे का पाईप.
PW-15	नरेश कुमार	फर्द बरामदगी बबूल की लकड़ी, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण.
PW-16	गणराज	फर्द नक्शा—मौका घटनास्थल, फर्द जब्ती.
PW-17	श्रवण	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-18	डॉ. अखिलेश	चिकित्सक गवाह.
PW-19	कमलकिशोर	एफ.एस.एल. वाहक.
PW-20	घनश्याम	अनुसंधान अधिकारी.
PW-21	रामेश्वरलाल	अनुसंधान अधिकारी.

05— अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाए:—

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी—01	फर्द नक्शा—मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी—02	फर्द जब्ती खूनआलूदा मिट्टी.
प्रदर्श पी—03	फर्द जब्ती सादा मिट्टी.
प्रदर्श पी—04	फर्द जब्ती खूनआलूदा टीशर्ट.
प्रदर्श पी—05	तहरीरी रिपोर्ट.
प्रदर्श पी—06	पीड़िता लादीदेवी के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान.
प्रदर्श पी—07	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. श्रीमती सुनीता.
प्रदर्श पी—08	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. ओमप्रकाश.

प्रदर्श पी–09	फर्द बरामदगीस्थल डण्डा.
प्रदर्श पी–10	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त अमरा.
प्रदर्श पी–11	फर्द बरादगीस्थल नक्शा–मौका .
प्रदर्श पी–12	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त अशोक.
प्रदर्श पी–13	फर्द बरामदगी व जब्ती लोहे का पाईप.
प्रदर्श पी–14	फर्द बरामदगी व जब्ती बबूल का डण्डा.
प्रदर्श पी–15	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त सूरजकरण.
प्रदर्श पी–16 से 20	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण सूरजकरण, अमरा, प्रहलाद, अशोक कुमार व रतनलाल.
प्रदर्श पी–21	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. श्रवण.
प्रदर्श पी–22	चोट प्रतिवेदन हगामा.
प्रदर्श पी–23 से 27	एक्सरे रिपोर्ट हगामा.
प्रदर्श पी–28	चोट प्रतिवेदन रामदेव.
प्रदर्श पी–29	एक्सरे रिपोर्ट रामदेव.
प्रदर्श पी–30	चोट प्रतिवेदन श्रीमती लादी.
प्रदर्श पी–31	चोट प्रतिवेदन श्रीमती राधा.
प्रदर्श पी–32	चोटों की प्रकृति के संबंध में राय बाबत् प्रार्थना पत्र.
प्रदर्श पी–32	पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा एस.पी. अजमेर को एफ.एस.एल. हेतु अग्रेषण पत्र.
प्रदर्श पी–33	एस.पी. अजमेर द्वारा एफ.एस.एल. को जारी पत्र.
प्रदर्श पी–34	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद.
प्रदर्श पी–35	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–36	थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा सी.जे.एम. अजमेर को पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान बाबत् प्रार्थना पत्र.
प्रदर्श पी–37	फर्द बरामदगी व जब्ती देसी बबूल का डण्डा.
प्रदर्श पी–38	एफ.एस.एल. रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–39 से 70	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–71	डिस्चार्ज टिकिट श्रीमती लादी.
प्रदर्श पी–72 से 74	आर्टिकल–1, मार्का–डी लगायत जी, तीन बबूल की लकड़ियां.
प्रदर्श पी–75	आर्टिकल–2, मार्का–एफ, एक लोहे का सरिया.
प्रदर्श पी–76	आर्टिकल–3 मार्का–सी, आहत हगामा का शर्ट.
प्रदर्श पी–77	खूनआलूदा मिट्टी मार्का–ए पर चिटचेपा.
प्रदर्श पी–78	सादा मिट्टी मार्का–बी पर चिटचेपा.
प्रदर्श पी–79ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति.

06– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित आर्टिकलों को प्रदर्शित कराया गया।

आर्टिकल–1	तीन विलायती बबूल की लकड़ियां.
आर्टिकल–2	लोहे का सरिया.
आर्टिकल–3	आहत हगामा का शर्ट.

07– दौराने विचारण अभियुक्त अमरा की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 17–11–2022 को आपराधिक कार्यवाही समाप्त की गई।

08– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के तहत अभियुक्तगण से लिया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

09– **विद्वान अपर लोक अभियोजक** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

10– इसके विपरीत **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी गवाहान परीक्षित करवाए गए हैं, वे हितबद्ध साक्षी हैं। गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अन्य गवाह व चिकित्सीय साक्षी के बयानों में विरोधाभास है। आहत हगामा की चोट प्राणघातक हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष व आहतगण के चोटें कारित करने का आशय/ज्ञान हो, साबित नहीं किया गया है। आहत हगामा के कुल्हाड़ी की कोई चोट नहीं है। जहां तक अभियुक्तगण अशोक व मुकेश के विरूद्ध धारा 354 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो मारपीट में ओढ़नी गिर गई थी। ओढ़नी को जब्त नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि बल्ली टूटने के कारण आहतगण के चोटें आई हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

11– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. ''आया अभियुक्तगण ने दिनांक 25–05–2019 को समय 4.30 पी.एम. या उसके लगभग ग्राम सनोदिया, पुलिस थाना सरवाड़ में परिवादी/ आहतगण के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए परिवादी/आहतगण का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ लकड़ियों, कुल्हाड़ियों आदि से मारपीट कर उनके स्वेच्छया साधारण व गम्भीर उपहति कारित की व परिवादी के खेत में कुए पर लगे इंजिन को कुए में गिराकर रिष्टि कारित की तथा पीड़िता लादी के साथ

आपराधिक बल का प्रयोग कर उसे नीचे गिराकर उसकी लूगड़ी उतारकर उसकी लज्जा भंग की व आहत हगामा के साथ के साथ आपराधिक मानव वध कारित करने का आशय/ज्ञान रखते हुए मारपीट कर उसकी हत्या का प्रयास कारित किया ?

2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

<u>अवधारणीय बिन्दु संख्या–एक</u>

12– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिए कुल 21 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई है, जिन पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 शंकर** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 27–05–2019 को सांवरलाल की निशांदेही से डाई नदी का नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1 पुलिस वालों ने बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उस समय वह, गणराज, सांवरलाल उपस्थित थे। वहां से खून से भरी मिट्टी व सादा मिट्टी ली थी, जिनको काले रंग की थैली मे लेकर सफेद कपड़े की थैली मे डालकर सीलचिट किया था एक टीशर्ट नीले रग की उसने पुलिस वालो को लाकर दी थी, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। फर्द जब्ती घटनास्थल खून आलूद मिट्टी प्रदर्श पी–2, फर्द जब्ती घटनास्थल सादा मिट्टी प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती खूनआलूदा टीशर्ट प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि परिवादी मेरा भाई है। यह सही हैकि मैंने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं देखा तथा प्रदर्श पी–1 लगायत पी–4 पर हस्ताक्षर मैंने सरवाड़ थाने पर खाली कागजों पर किए थे। मेरे सामने किसी प्रकार की कोई लिखापढ़ी नहीं हुई, न ही मेरे सामने नक्शा–मौका बनाया गया, न ही टी शर्ट जब्त किया। यह सही है कि परिवादी पक्ष व घायल व्यक्ति चाली बल्ली से गिर गए थे, जिसके कारण उनके चोटें आई थी तथा मुलजिमान ने परिवादी व घायल के साथ कोई मारपीट नहीं की।

14– **गवाह पी.ड.–2 राजकुमार** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25–05–2019 को शाम के 4.30 बजे के लगभग वह डाई नदी पर रूपए देने के लिए रामदेवजी के पास आया था। वहां पर उसने देखा कि रामदेव, हगामा, राधा, लादी, सांवरा के हाथ, पैरों में गम्भीर चोटें आई हुई थी। शंकर, सीताराम, गोवर्धन, सुनीता व ओमप्रकाश भी मौजूद थे। रामदेव ने बताया कि वे कुए पर काम कर रहे थे, वहां पर मुलजिमान ट्रेक्टर पर सवार होकर लकड़ियां, कुल्हाड़ी, सरिए, पाईप आदि लेकर आए, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसने थाने पर फोन किया। ओमप्रकाश ने 108 वालों को सूचना दी थी। 05 बजे के करीब एम्बुलेन्स आई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। डाक्टर ने लादी, हगामा, रामदेव को अजमेर जे.एल.एन. ईलाज के लिए रैफर कर दिया था।

15– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैंने कोई घटना नहीं देखी, न ही मेरे साथ कोई मारपीट हुई। कुआ बंधाई के दौरान जो चालीबल्ली का पेड़ बंधा हुआ था,

उसके अचानक टूट जाने से रामदेव, हगामा, राधा, लादी काम कर रहे थे, उनके चोटें आई थी। यह सही है कि रामदेव का लड़का सांवरा वहां पर नहीं था।

16– **गवाह पी.ड.–3 रामदेव** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25–05–2019 को वह, उसका भाई हगामा, उसकी औरत राधा, उसका लड़का सांवरलाल व उसकी पत्नी लादी तथा दो कारीगर शकर व सीताराम तथा गांव के गोवर्धन, श्रीकिशन, सुनीता बैरवा काम कर रहे थे। समय 4.30 बजे अमरा, सूरजकरण, नारायण, अशोक, प्रहलाद, मुकेश, रतन, हाली, जीवराज, गिरधारी आदि सभी सूरजमल के ट्रेक्टर में लकड़ियां, पाईप, सरिए आदि लेकर आए और सभी ने चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। सूरजकरण ने हगामा को कुल्हाड़ी से मारा। अमरा ने लोहे के पाईप की मारी, जीवराज ने हगामा के लकड़ी की हाथ पर मारी। नारायण, प्रहलाद ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। लादी को अशोक व मुकेश ने मारपीट की व उसकी लूगड़ी खींच दी। लादी पेट से थी। उसकी औरत राधा के साथ भैरू व गिरधारी ने लकड़ी से मारपीट की। उसके बच्चे सांवरलाल के साथ मारपीट की तो वह वहां से भाग गया। ये लोग उनको वहीं पर छोड़कर चले गय। वहां पर राजकुमार व और लोग आए, जिनको उसने घटना के बारे में बताया था। उसके व उसके परिवार वालों के साथ इन लोगों ने रास्ता देने से मना करने की बात को लेकर मारपीट की। उसका मेडिकल हुआ था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि पुलिस वालों ने प्रदर्श पी–5 लिखी थी। मुझे पता नहीं कि प्रदर्श पी–5 किसने लिखाई तथा मुझे पढ़कर नहीं सुनाया कि उसमें क्या लिखा है। हम सब कुए के अन्दर थे। मैं नहीं बता सकता कि कौन व्यक्ति कुए से निकलकर किस दिशा की ओर भागा। यह सही है कि प्रदर्श पी–5 में आरोपीगण द्वारा चारों तरफ से घेरने वाली बात नहीं लिखी हुई है तथा प्रहलाद के साथ मारपीट हुई थी तथा रास्ता देने से मना करने की बात पर मारपीट की हो, यह बात भी नहीं लिखी हुई है। यह सही है कि भागमभाग तथा धक्का–मुक्की में औरतों की लूगड़ी व तगारी, फावड़े गिर गए थे। इससे पहले हमारा व मुलजिमान के बीच कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। मैं नहीं बता सकता कि किस मुलजिम के हाथ में क्या था तथा किस व्यक्ति ने किसके व किससे मारी। यह कहना गलत है कि हमारी मवेशिया सूरजकरण वगैरह के खेत में घुस गई हो, इस द्वेष के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।

18– **गवाह पी.ड.–4 लादी** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 09 महिने पहले शाम को 4–4.30 बजे वे नदी में कुआ बांध रहे थे। उस समय वह, उसका पति, रामदेव, हगामा, राधा तथा मजदूर हरिकिशन, गोरधन, शंकर आदि थे। तब वहां पर अमरा, सूरजकरण, जीवराज, नारायण, अशोक, मुकेश, प्रहलाद आदि कुल्हाड़ी, बरसी, पाईप व लकड़ियों से मारपीट करने लग गए। उन्होंने उसके व हगामा, रामदेव तथा राधा के साथ मारपीट की। उसके पैरों व कमर, पीठ में लगी। हगामा के आते ही सिर में कुल्हाड़ी की मारी व पांवों को काट दिया। राधा के भी कमर व पीठ आदि में लगी। अशोक व मुकेश ने उसकी लूगड़ी खींच ली। उनकी चोटों का ईलाज करवाया था। उसके कोर्ट में बयान हुए थे। बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी–6 है, जिस पर उसकी अंगूठा

निशानी है। बजरी को लेकर लड़ाई हुई थी।

19– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पहले कोर्ट में बयान हुए थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–6 में नदी में कुआ बांधने वाली बात, हगामा के आते ही कुल्हाड़ी की मारी व पांव काट दिए, राधा के कमर व पीठ में मारी, अशोक ने मेरी लूगड़ी खींच दी, ये बातें मेरे बयान प्रदर्श पी–6 में नहीं लिखी है। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं, इसीलिए नहीं बता सकता कि बयान प्रदर्श पी–6 कौनसी दिनांक को लिए थे तथा पुलिस बयान घटना के कितने दिन बाद लिए, नहीं बता सकती। रामदेव मेरा ससुर, हगामा मेरा काकी ससुर, राधा मेरी सास, सांवरलाल मेरा पति है। मुलजिमान के खेत हमारे खेत से एक–दो खेत के बीच में सड़क है। मुझे ध्यान नहीं कि बयान प्रदर्शपी–6 मुझे पढ़कर सुनाए थे या नहीं। मेरी उस समय तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे मेरे खेत के खसरा नंबर नहीं पता। उक्त कुआ हमारी जमीन पर नहीं बना रहे थे, बल्कि सरकारी नदी पर बना रहे थे। मुझे नहीं पता कि किस आदमी ने विशिष्ट रूप से किस हथियार से किसके, किस जगह मारी। मुझे पुलिस ने पुलिस बयान पढ़कर नहीं सुनाए। कुए में चालीबल्ली का पेड़ बना हुआ था, जो टूट गया था, जिससे चोटें आई।

20– **गवाह पी.ड.–5 राधा** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 8–9 महिने पहले शाम को 4–4.30 बजे वे कुआ खोद रहे थे तो अमरा, सूरजकरण, जीवराज, मुकेश व नारायण तथा और भी थे, जो बजरी लेने आए थे, जो आते ही उनके साथ कुल्हाड़ी, लक़डियों से मारपीट करने लगे। उक्त लड़ाई में रामदेव, लादी, हगामा व राधा के लगी। हगामा के पैर टूट गया। उसके सिर व कूल्हे पर लगी। बजरी ले जाते समय बिना वजह ही उन लोगों के साथ मारपीट की।

21– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरी दो दादी है, हगामा मेरा देवर है। मैं कुए के अन्दर नहीं थी। मैं मौके पर भाग छूटी थी, उन्होंने भागते–भागते मारी, जिससे मैं बेहोश हो गई तथा मुझे पता नहीं कि किसने, किसके, किससे मारी। यह सही है कि नदी में जगह–जगह ढेरे बने हुए, पत्थर व गड्डे हैं तथा जगह उबड़–खाबड़ थी। हमारी सूरजकरण वगैरह से पहले कोई झगड़ा, थाना, थपेड़ी नहीं हुई थी। आसपास के गांव वाले सभी नदी से बजरी लेकर जाते हैं। यह सही है कि उस समय वहां पर चालीबल्ली बांधकर हम लोग कुआ बंधाई का काम कर रहे थे। हम मौके से भागे तो वहां पर ठोकर खाकर गिर गए थे तथा बाद में उन्होंने मारी। हम वहां पर गिर गए थे, इसीलिए पत्थरों से हमारे चोटें आई थी। यह कहना गलत है कि कुए में जो पेड़ बंधा हुआ था, उसके टूटने से हगामा वगैरह के चोटें आई हों तथा मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की गई हो।

22– **गवाह पी.ड.–6 हरिकिशन** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 8–9 महिने पहले समय 4.30 बजे दिन में वे नदी में रामदेव कुम्हार का बेरा बांध रहे थे। वहां पर वह, रामदेव, हगामा, दो मिस्त्री, दो मजदूर गोरधन व सुनीता तथा लादी, राधा व सांवरलाल थे। वे नीचे काम कर रहे थे तब अमरा, सूरजकरण, नारायण, अशोक, मुकेश, प्रहलाद आदि ट्रेक्टर व मोटरसाईकिल पर लकड़ी, सरिए लेकर आए और आते

ही लड़ाई की। उन्होंने मना किया तो अमरा भाई तो रूक गया, लेकिन बाकि ने मारपीट की। मारपीट में हगामा, राधा, लादी व रामदेव के चोटें आई। सांवरलाल भाग गया था। हगामा के दोनों पैर व सिर में लगी। इनको 108 से अस्पताल ले जाया गया।

23– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैं घटना से एक दिन पहले ही कुआ बंधाई का काम करने गया था। मुझे नहीं पता कितने दिन पहले से कुआ बंधाई का काम चल रहा था। कुए की गहराई 5 से 7 फीट थी। उसके पुलिस ने घटना के 5–7 दिन बयान लिए थे तथा पुलिस वालों ने मुझे केवल यह पूछा कि वह वहां पर था या नहीं, इसके अलावा घटना के बारे में पूछताछ नहीं की। मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, न ही मैंने कोई बीच–बचाव किया। यह कहना गलत है कि राधा व लादी कुए पर न होकर खेतों पर काम कर रहे हों, बल्कि वे कुए पर थे। उक्त घटना से पहले इन लोगों के बीच कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर नहीं हो और झूठे बयान दे रहा हूं।

24– **गवाह पी.ड.–7 हगामा** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब साढ़े नौ महिने पहले शाम को 4.30 बजे वे नदी में कुए रामदेव, सांवरा, लादी, राधा, श्रीकिशन, गोरधन, सुनीता आदि उसके साथ काम कर रहे थे, तब ट्रेक्टर में अमरा, सूरजकरण, जीवराज, अशोक, गिरधारी व इनकी औरतें, मुकेश आदि एकसाथ आए तथा आते ही कुल्हाड़ी, सरियों व पाईप से मारपीट करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी से उसका पैर काट दिया। उसके दोनों पैरों व सिर में चोट आई। बांये हाथ व पीठ में लकड़ी की चोट मारी। उसके दोनों पैर व हाथ टूट गए। वह आधा–पौना घंटा नदी में पड़ा रहा, बाद में ओमप्रकाश ने फोन करके एम्बुलेन्स बुलाई तथा उसे अस्पताल लेकर गए। उसने अपनी चोटें डाक्टर को दिखाई व एक्सरे भी करवाया।

25– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि नदी में जहां कुआ बंधाई का काम चल रहा था, वहां मेरे स्वामित्व की जमीन नहीं है। बेरा बनाने का काम घटना के 5–7 दिन पहले से चल रहा था तथा मैं किशन, गोरधन घटना के दिन ही कुआ बंधाने वाली जगह पर गए थे। कुआ बांधने वाली जगह रामदेव की नहीं है। यह सही है कि मुझे घटना के दिन रामदेव व सांवरा ने बुलाया था। हम जो कुआ बांध रहे थे, वह 15 फीट गहरा था तथा जहां हम कुआ बंधाई का काम कर रहे थे, वहां पर लकड़ी की चालीबल्ली का पेड़ बंधा हुआ था। यह सही है कि चालीबल्ली पर ही काम करने वाले मजदूर खड़े थे तथा उन पर पत्थर, तगारियां आदि पड़ी थी। यह कहना गलत है कि चालीबल्ली का पेड़ कुआ बंधाई के दौरान टूट गया हो और हमारे चोटें आई हों। मेरे पुलिस बयान नहीं हुए, फिर कहा कि घटना के बाद आज पहली बार बयान देने आया हूं। अजमेर में घटना के 5–7 दिन बाद बयान हुए। मुझे आज नहीं पता कि किसके हाथ में क्या हथियार था, किस व्यक्ति विशेष को किस हथियार से किस–किसने मारपीट की। मेरा तो इतना ध्यान था कि मेरे सिर में जीवराज ने मारी थी, फिर मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि मुलजिमान किस दिशा में भागे। सुनीता, गोरधन, किशन, सांवरलाल के कोई चोटें नहीं आई। यह सही है कि मुलजिमान का हमारे साथ पहले से कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं था। यह कहना गलत हैकि मुलजिमान ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की हो तथा कुए में

बंधा चालीबल्ली का पेड़ टूट गया हो, जिससे हमारे चोटें आई हो तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।

26— **गवाह पी.ड.—8 सांवरलाल** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से 5—6 साल पहले वह रामदेव, लादीदेवी, राधादेवी, श्रीकिशन, सीताराम, शंकर, सुनीता सभी कुए पर कुआ बांधने का काम कर रहे थे, तभी सूरजकरण, अमरा, नारायण, अशोक, प्रहलाद, रतन, मुकेश, जीवराज, गिरधारी, मथुरा हाथों में लकड़ी, सरिए, परचे लेकर आए तथा उन पर हमला कर दिया। सबसे पहले रामदेव के साथ मारपीट की। मारपीट में रामदेव, राधादेवी, लादीदेवी, हगामा के चोटें आई थी। रामदेव, राधा, हगामा को एम्बुलेन्स में सरवाड़ अस्पताल लेकर गए थे फिर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुलजिमान उनके खेत में जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते थे, इस बात को लेकर मारपीट की थी।

27— **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पिता का नाम रामदेव तथा माता का नाम राधा तथा अंकल का नाम हगामा तथा पत्नी का नाम लादीदेवी है। मैं कुआ बंधाई का का पिछले 5—6 साल से करता आ रहा हूं। आरोपीगण गोयला, सातोलाव, गणेशपुरा व सनोदिया गांव के हैं। हमारी रिपोर्ट वकील साहब ने लिखकर दी थी तथा रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया। घटना के दिन मैं पिताजी के साथ था। यह सही हैकि जहां हम कुआ बंधाई का कार्य कर रहे थे, वह नदी का सरकारी रकबा है तथा हमारा उस जमीन पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं है। मैं कुए के बाहर था तथा मेरे कोई चोटें नहीं आई। कुए में रामदेव, श्रीकिशन, लादी, राधा, हगामा, कारीगर सीताराम, शंकर व सुनीता थे तथा कुआ 10 फीट के लगभग गहरा था। मेरे घटना के 4—5 दिन बाद पुलिस बयान हुए थे। सूरजकरण की कृषि जमीन हमारे खेतों से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूं तथा मुलजिमान ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की हो। यह कहना भी गलत है कि कुए में बंधी चालीबल्ली का पेड़ टूट गया हो, जिससे राधा, रामदेव व लादी के चोटें आई हों तथा मैं घटना के समय मौके पर नहीं हो तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।

28— **गवाह पी.ड.—9 सुनीता** ने साक्ष्य दी है कि आजसे करीबन 4—5 वर्ष पूर्व हमारे गांव के रामदेव के खेत पर कुआ बंधाई का कार्य चल रहा था, जहां वह मजदूरी करने गई थी। मजदूरी करने के लिए रामदेव, हगामा, राधा, लादी भी आते थे। रामदेव हगामा कारीगर तथा हम तीन बेलदार थे। कारीगर के काम करने का लकड़ी बल्लियों से बने पेड़ टूटकर गिर गया था, जिससे कारीगर नीचे गिर गए थे, जिन्हें बाहर निकाला था। मैंने कोई लड़ाई—झगड़ा नहीं देखा। मैं मौके से भाग गई थी। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी—7 का ए से बी भाग ''मैं ग्राम.....चली गई'' तथा सी से डी भाग ''उन लोगों के .... नहीं करी थी'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि मुलजिमान मेरे जानकार होने के कारण उनसे मिलकर झूठे बयान दे रही हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि जब पेड़ गिरने की घटना घटी तब मैं तथा रामदेव, हगामा, राधा, लादी ही मौजूद थे, अन्य कोई नहीं

था। यह सही है कि हगामा व रामदेव कारीगर का काम कर रहे थे, इसीलिए वहां पर बांस, बल्लियों के पेड़ पर चढ़े हुए थे तथा पेड़ गिरने से दोनों रामदेव व हगामा नीचे गिर गए थे। यह सही है कि हगामा जब पेड़ से नीचे गिरा, तब वहां पर पड़े पत्थरों पर गिर गए थे, जिससे उनके सिर व पैर में चोटें आई थी तथा उस समय हम 05 के अलावा वहां पर शंकर, सीताराम मौजूद नहीं थे।

29– **गवाह पी.ड.–10 ओमप्रकाश** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीबन 06 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री सुनीता ने उसे बताया कि रामदेव के कुए पर जहां वह मजदूरी करने गई थी, वहां पर हगामा व लादी के लग गई थी तो मैंने देखकर एम्बुलेन्स को फोन किया तथा हगामा व लादी को बिठाकर सरवाड़ अस्पताल में भेजा। मुझे नहीं पता कि हगामा व लादी के कैसे लगी। मैंने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं देखा। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का ए से बी भाग ''मैं खेतीबाड़ी.....ओमप्रकाश थे'' तथा सी से डी भाग ''थोड़ी देर बाद .... अस्पताल आए'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि मुलजिमान मेरे जानकार होने से उनसे मिलकर झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे घटना के बारे में मेरी पुत्री सुनीता ने बताया कि पेड़ गिरने से हगामा, लादी, रामदेव राधा के लगी थी।

30– **गवाह पी.ड.–11 शंकर** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 5–6 वष्ज्र्ञ पहले वह, सीताराम व दो मजदूर रामदेव के खेत पर कुए को बांधने का कार्य कर रहे थे। शाम के करीब तीन से चार बजे पांच से दस आदमी सरिए, लकड़ी लेकर खेत पर आए तथा हगामा, रामदेव व उनके परिवार वालों के साथ सरिए, लकड़ी से मारपीट की, जिससे हगामा के सिर, हाथ व पैर पर चोट आई। रामदेव के कूल्हे, जांघ व पैर पर चोट आई। उनके परिवार में औरतें थी, उनके पेट पर चोटें आई। रामदेव की पत्नी के भी चोट आई। एम्बुलेन्स को फोन करके बुलाया, जिसमें सभी घायलों को सरवाड़ अस्पताल लेकर गए, जिनको केकड़ी रैफर कर दिया तथा केकड़ी से अजमेर रैफर कर दिया। खेत पर जाने के रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि मुझे पता नहीं कि हगामा, रामदेव व अन्य घायल व्यक्तियों के साथ किसने मारपीट की थी, न ही मैंने सुना कि उनके साथ किसने मारपीट की।

31– **गवाह पी.ड.–12 गोवर्धन** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 5–6 वर्ष पहले वह, सीताराम तथा दो मजदूर रामदेव के खेत पर कुए को बांधने का कार्य कर रहे थे। शाम को करीब तीन से चार बजे 5–10 आदमी सरिए, लकड़ी लेकर खेत पर आए तथा हगामा, रामदेव व उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिससे हगामा के सिर, हाथ व पैर पर चोट आई। रामदेव के कूल्हे, जांघ व पैर पर चोट आई तथा उनके परिवार में औरतें थी, उनके पेट पर चोटें आई। रामदेव की पत्नी के भी चोट आई। एम्बुलेन्स को फोन करके बुलाया, जिससे सभी घायलों को सरवाड़ अस्पताल ले गए, जहां से केकड़ी अस्पताल फिर अजमेर अस्पताल रैफर कर दिया। खेत पर जाने के रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे पता नहीं कि

हगामा, रामदेव व अन्य घायलों के साथ किसने मारपीट की, न ही सुना कि उनके साथ मारपीट हुई। मैंने कोई मारपीट होते नहीं देखी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था।

32– **गवाह पी.ड.–13 सीताराम** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से 4–5 साल पहले वह, शंकर, कारीगर तथा 4–5 अन्य मजदूर रामदेव के खेत पर कुआ बांधने गए थे। दोपहर दो बजे के लगभग 35 व्यक्ति कुल्हाड़ी व लक्ड़ियां लेकर ट्रेक्टर में आए तथा हगामा, लादी, रामदेव के साथ मारपीट की। मारपीट में हगामा के सिर, दोनों पैरों में चोटें आई। रामदेव के पैरों व लादी के पेट में चोटें आई। हगामा, रामदेव व लादी को 108 एम्बुलेन्स से सरवाड़ अस्पताल ले गए, जहां से उनकी हालत खराब होने से केकड़ी अस्पताल ले गए। हगामा की हालत ज्यादा खराब होने से उसे अजमेर रैफर कर दिया। मारपीट करने वालों ने रामदेव के साथ इसलिए मारपीट की कि वे लोग रामदेव के खेत में से रास्ता बनाना चाहते थे। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरी जानकारी में नहीं है कि हगामा, रामदेव, लादी के साथ किसने मारपीट की, न ही उसने मारपीट होते देखी।

33– **गवाह पी.ड.–14 मुकेश कुमार** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 05–06–2019 को पुलिस थाना सरवाड़ पर कानि. था। उस दिन वह, अनुसंधान अधिकारी रामेश्वरलाल मय जाप्ता मुकदमा संख्या–121/2019 अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 354, 325, 427, 307 भा.दं.सं. में अभियुक्त सूरजकरण की निशांदेही पर थाने से रवाना होकर सूरजकरण के घर सिनोदिया गांव पहुंचे। अभियुक्त ने अपने घर के कमरे में चारपाई के नीचे से विलायती बबूल की लकड़ी का एक डण्डा निकालकर दिया। फर्द बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–9 है। अभियुक्त अमरा ने धारा 27 सा.अ. की इत्तिला प्रदर्श पी–10 दी कि ''घटना में प्रयुक्त लकड़ी मैंने अपने घर पर छुपा रखी है, जो मैं चलकर बता सकता हूं''। अनुसंधान अधिकारी मय जाप्ता मय अभियुक्त अमरा की निशांदेही से उसके घर पहुंचे। अभियुक्त ने कमरे से देशी बबूल की लकड़ी निकालकर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–11 है।

34– **गवाह पी.ड.–14 मुकेश कुमार** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त अशोक कुमार ने धारा 27 सा.अ. की इत्तिला प्रदर्श पी–12 दी कि ''मैंने परिवादी के साथ जो मारपीट की थी, वह लोहे का पाईप मैंने अपने घर के बाड़े में छिपा रखा है, मैं चलकर बता सकता हूं''। अनुसंधान अधिकारी मय जाप्ता अभियुक्त अशोक की निशांदेही से उसके घर पहुंचे तथा अभियुक्त ने मकान के पीछे बाड़े से लोहे का पाईप निकालकर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–13 है। अभियुक्त सूरजकरण की निशांदेही से एक विलायती बबूल का डण्डा जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 जब्त किया, जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

35– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे याद नहीं कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के समय मेरे व थानाधिकारी के अलावा कौन उपस्थित था। यह सही है कि अनुसंधान अधिकारी ने थाने से रवाना होने से लेकर लक्ड़ियां व लोहे के पाईप बरामद करने व नक्शा बनाने तक किसी भी स्वतंत्र गवाह को तलब नहीं

किया। मैं नहीं बता सकता कि बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–9 व पी–11 के आसपास किसके मकानात हैं। मुझे याद नहीं कि लकड़ी पर खून लगा हुआ था या नहीं। अभियुक्त अशोक के घर से बरामद लोहे का पाईप लगभग साढ़े तीन से चार फीट लम्बा व डेढ़ से दो इंच मोटा था। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर उपस्थित नहीं हो तथा समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो।

36– **गवाह पी.ड.–15 नरेश कुमार** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 04–06–2019 को पुलिस थाना सरवाड़ पर कानि. था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी रामेश्वरलाल ने उसके व कानि. मुकेश के समक्ष अभियुक्त सूरजकरण को गिरफ्तार किया था। धारा 27 की इत्तिला के अनुसार ''मैं आपके साथ चलकर वह स्थान बता सकता हूं, जहां से विलायती बबूल की लकड़ी बरामद की थी''। मुलजिम सूरजकरण के घर गए, जहां से पलंग के नीचे से डण्डा बरामद किया, उस स्थान का नक्शा बनाया। फर्द बरामदगी व जब्ती विलायती बबूल की लकड़ी प्रदर्श पी–14, फर्द बरामदगी नक्शा–मौका प्रदर्श पी–9, फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. प्रदर्श पी–15, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण सूरजकरण, अमरा, प्रहलाद, अशोक, रतनलाल प्रदर्श पी–16 लगायत पी–20 है, जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

37– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे आज याद नहीं कि अभियुक्त सूरजकरण ने किस समय धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी, गवाह ने फिर कहा कि दिनांक 05–06–2019 को इत्तिला दी थी। हम लोग सिनोदिया गांव में लगभग 45 मिनट रूके थे। जब्तशुदा लकड़ी दो से ढाई फीट लम्बी थी तथा मुझे आज याद नहीं कि उक्त लकड़ी पर खून लगा था या नहीं। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–9 व पी–15 की कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो।

38– **गवाह पी.ड.–16 गणराज** ने साक्ष्य दी है कि वह गोयला में 5–6 वर्ष पूर्व से कृषि का कार्य कर रहा है तथा उस समय पुलिस वालों ने थाने पर 2–3 कागजों पर किस बात के हस्ताक्षर कराए, मुझे नहीं पता, न ही मुझे लड़ाई–झगड़े के बारे में कोई जानकारी है। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया कि फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1, फर्द जब्ती खूनआलूदा मिट्टी प्रदर्श पी–2, फर्द जब्ती सादा मिट्टी प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती खूनआलूदा टीशर्ट प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्शपी–1 लगायत पी–4 पर पुलिस वालों ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे तथा उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की।

39– **गवाह पी.ड.–17 श्रवण** ने साक्ष्य दी है कि वह सनोदिया में कृषि कार्य करता है। उसे पता नहीं कि कब की बात है। पुलिस वाले आए थे तथा उसके किस बात के हस्ताक्षर करवाए, उसे नहीं पता। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–21 का ए से बी भाग ''तारीख.....कर दिया'' तथा सी से डी भाग ''हगामा....लिखाया'' पुलिस को नहीं दिया। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन

किया कि उसने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं देखा, न ही उसे सूरजकरण वगैरह व अन्य व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार के लड़ाई–झगड़े की जानकारी है।

40– **गवाह पी.ड.–18 डा. अखिलेश** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25–05–2019 को सी.एच.सी. सरवाड़ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी था। उस दिन शाम को 6.30 बजे सरवाड़ थानाधिकारी के प्रार्थना पत्र पर हगामा की चोटों का निरीक्षण किया, जिसके निम्न चोटें थी–

1. छितरा हुआ घाव तथा उसके चारों ओर सूजन, 03 गुणा आधा इंच तथा डेढ़ गुणा आधा इंच बांये पैर पर साधारण प्रकृति की कुंदाला से कारित थी।
2. छितरा हुआ घाव दो गुणा आधा इंच, दांये पैर पर साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी।
3. छितरा हुआ घाव ढाई गुणा आधा इंच, सिर पर साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी।
4. दांये पैर पर सूजन तीन गुणा तीन इंच, गम्भीर प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी।
5. दांये हाथ की रिंग फिंगर पर सूजन एक गुणा एक इंच, गम्भीर प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी।
6. बांये हाथ के पीछे की तरफ सूजन चार गुणा चार इंच, साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी। सभी चोटें 06 घंटे के भीतर होना पाया गया। दिनांक 26–05–2019 को जे.एल.एन. अस्पताल में एक्सरे कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार दांये पैर में टिबिया व फिब्यूला हड्डियों पर मल्टीपल फ्रेक्चर पाए गए। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–22, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 लगायत पी–27 हैं। आहत के जिस्म पर आई समस्त चोटें प्रथम दृष्टया प्राणघातक हो सकती है। थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा आहत हगामा के शरीर पर आई चोटें प्राणघातक हैं या नहीं, के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–32 दिया, जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

41– **गवाह पी.ड.–18 डा. अखिलेश** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसी दिन रामदेव पुत्र नन्दा के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण किया, जिसके दांये पैर पर सूजन तीन गुणा ढाई इंच थी, जो साधारण प्रकृति की कुंदाला से कारित थी। चोट की अवधि 06 घंटे की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–28 है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–29 है, जिसके अनुसार रामदेव के पैर में फ्रेक्चर नहीं पाया। उसी दिन लादी पत्नी सांवरलाल की चोटों का निरीक्षण किया, जिसके पेट की बांयी तरफ (गर्भवती) हाथ लगाने पर तीन गुणा दो इंच के दायरे में दर्द की शिकायत थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–30 है। उसी दिन राधा पत्नी रामदेव की चोटों का निरीक्षण किया, जिसके दांये कूल्हे पर सूजन दो गुणा दो इंच साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–31 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

42– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि हगामा के सिर की चोट साधारण प्रकृति की थी तथा सिर की चोट के लिए एक्सरे एडवाईज नहीं किया, इस कारण से सिर की चोट प्राणघातक नहीं थी। यह सही है कि हगामा के चोट प्रतिवेदन

में उसका पहचान चिन्ह् अंकित नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि हगामा की गम्भीर हालत के कारण उसके परिवारजन पहचान चिन्ह् अंकित करने सेपूर्व ही उसे लेकर अजमेर चले गए थे, इसीलिए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–22 में पहचान चिन्ह् का अंकन नहीं है। यह कहना भी सही है कि चोट संख्या–4, 5 का एक्सरे उसके समक्ष नहीं हुआ तथा चोट संख्या–4 में बाहरी घाव नहीं था, फिर कहाकि अंदरूनी चोट हो सकती है। मैं रेडियोलोजिस्ट नहीं हूं तथा चोटों को देखकर राय दी जा सकती है तथा समस्त मजरूबान के शरीर पर आई चोटे गिरने–पड़ने से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

43– **गवाह पी.ड.–19 कमलकिशोर** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 13–08–2019 को पुलिस थाना सरवाड़ पर कानि. था। उस दिन सुबह एच.एम. मालखाना से अग्रेषण पत्र व 07 सीलशुदा पैकेट लेकर एस.पी. अजमेर के कार्यालय में अग्रेषण पत्र बनवाने गया। एस.पी. साहब, अजमेर से अग्रेषण पत्र बनवाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में अग्रेषण पत्र व 07 सीलशुदा पैकेट जमा करवाए तथा प्राप्ति रसीद लेकर पुलिस थाना आकर एच.एम. मालखाना को सुपुर्द की। पुलिस थाना सरवाड़ से पुलिस अधीक्षक, अजमेर को लिखा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–32, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–33 व एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–34 है।

44– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसे एस.पी. कार्यालय से एक बजे अग्रेषण पत्र प्राप्त हुआ तथा शाम को 3–4 बजे अग्रेषण पत्र व सात पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में जमा कराए। मुझे याद नहीं कि मेरी आमद रवानगी की रोजनामचा रपट पत्रावली पर है या नहीं।

45– **गवाह पी.ड.–20 घनश्याम** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 02–08–2019 को पुलिस थाना सरवाड़ पर ए.एस.आई. था। उस दिन थानाधिकारी कन्हैयालाल द्वारा प्रकरण संख्या–121/2019 धारा 143, 147, 149, 323, 341, 354, 427, 307 भा.दं.सं. की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान गवाह कमलकिशोर कानि. के बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए। कानि. कमलकिशोर ने एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी–34 दी। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण जीवराज, अमरा, प्रहलाद, मुकेश, रतनलाल, अशोक व सूरजकरण के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 325, 307, 427 भा.दं.सं. में जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ. कन्हैयालाल को सुपुर्द की। बचाव पक्ष की ओर से गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

46– **गवाह पी.ड.–21 रामेश्वरलाल** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25–05–2019 को वह पुलिस थाना सरवाड़ पर ए.एस.आई. था। उस दिन ए.एस.आई. सतीश कुमार प्रभारी पुलिस थाना सरवाड़ ने प्रकरण संख्या–121/2019 का अनुसंधान उसके जिम्मे किया। दौराने अनुसंधान गवाहान राधादेवी, सांवरलाल, श्रीकिशन, गोवर्धनलाल, शंकर, सुनीता, सीताराम, मजरूबान रामदेव, हगामा, लादीदेवी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्शपी–35 है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–05 है।

मजरूबान के चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए। दिनांक 05–06–2019 को मजरूबान रामदेव, हगामा, लादीदेवी, राधा की चोटों के संबंध में एम.ओ. को चोटें प्राणघातक हैं या नहीं, के संबंध में राय प्राप्त करने हेतु तहरीर प्रदर्श पी–32 दी, जिस पर एम.ओ. की राय है। प्रकरण की पीड़िता लादीदेवी के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान लेखबद्ध करवाने हेतु सी.जे.एम. साहब, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–36 प्रस्तुत किया, जिस पर सी.जे.एम. साहब का पृष्ठांकन है। प्रकरण के चश्मदीद गवाह सांवरलाल की निशांदेही से गवाहान शंकर व गजराज सिंह के समक्ष घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–1 बनाया।

47– **गवाह पी.ड.–21 रामेश्वरलाल** ने यह भी साक्ष्य दी है कि फर्द जब्ती घटनास्थल खूनआलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी क्रमशः प्रदर्श पी–2 व पी–3 है। अभियुक्त सूरजकरण, अमरा, प्रहलाद, अशोक, रतनलाल को जरिए फर्द प्रदर्शपी–16 लगायत पी–20 गिरफ्तार किया, जिन समस्त फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त सूरजकरण ने धारा 27 सा.अ. की इत्तिला प्रदर्श पी–15 दी कि ''दिनांक 25–05–2019 को हगामा के साथ डण्डे से मारपीट की, उक्त डण्डा मेरे मकान में छिपा रखा है, जो आपके साथ चलकर बता सकता हूं। उक्त इत्तिला के आधार पर अभियुक्त सूरजकरण ने अपने रिहायशी मकान पहुंचकर एक विलायती बबूल का डण्डा पेश किया, जिसे जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 जब्त किया, जिसकी बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–9 है।

48– **गवाह पी.ड.–21 रामेश्वरलाल** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त अमरा ने धारा 27 सा.अ. की इत्तिला प्रदर्श पी–10 दी कि ''आज से करीब 15 दिन पहले मैंने हगामा के साथ जिस डण्डे से मारपीट की थी, वो डण्डा मैंने मेरे मकान में छिपा रखा है, जो आपके साथ चलकर बता सकता हूं। उक्त इत्तिला के आधार पर अभियुक्त अमरा ने अपने रिहायशी मकान से विलायती बबूल का डण्डा पेश किया, जिसे जरिए फर्द प्रदर्श पी–37 जब्त किया, जिसका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–11 है। अभियुक्त अशोक ने धारा 27 सा.अ. की इत्तिला प्रदर्श पी–21 दी कि ''दिनांक 25–09–2019 को मैंने लादी के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की थी, वो लोहे का पाईप मैंने हमारे बाड़े में छिपा रखा है, जो आपके साथ चलकर बता सकता हूं''। उक्त इत्तिला के आधार पर अभियुक्त अशोक ने अपने रिहायशी मकान से लोहे का पाईप पेश किया, जिसे जरिए फर्द प्रदर्श पी–13 जब्त किया, जिसका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–11 है। मजरूब हगामा का वक्त घटना पहना हुआ टीशर्ट को जरिए फर्द प्रदर्श पी–4 जब्त किया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–38, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–39 लगायत पी–70 है। मजरूबा लादी का मूल बैड टिकिट प्रदर्श पी–71 है, जिन समस्त फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

49– **गवाह पी.ड.–21 रामेश्वरलाल** ने यह भी साक्ष्य दी है कि आर्टिकल–1 सफेद कपड़े की थैली में तीन विलायती बबूल की लकड़ी है, मार्का–डी लगायत जी प्रदर्श पी–72 लगायत पी–74 है। आर्टिकल–2 सफेद कपड़े की थैली में एक लोहे का सरिया मार्का–एफ, प्रदर्श पी–75 है। आर्टिकल–3 सफेद कपड़े की थैली में आहत हगामा का शर्ट मार्का–सी प्रदर्श पी–76 है, एक कपड़े की थैली में खूनआलूदा मिट्टी मार्का–ए प्रदर्श पी–77, सादा मिट्टी मार्का–बी प्रदर्श पी–78 है, जिन सभी पर मालखाना मद संख्या–

140/2019 मुकदमा संख्या–121/2019 अंकित है तथा उसके हस्ताक्षर हैं। असल मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–79 है, जिस पर मालखाना मद संख्या, मुकदमा संख्याव एफ.एस.एल. माल भेजने का इन्द्राज व उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–79ए है। तत्पश्चात् वह राजकार्य ड्यूटी पर चले जाने के कारण मूल पत्रावली थानाधिकारी द्वारा सतीश कुमार ए.एस.आई. को अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द की।

50– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि तहरीरी रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस में आहतगण के कहां–कहां चोटें आई, अंकित नहीं है तथा घटना की रिपोर्ट न्यायालय में पहुंचाने बाबत् चाक एफ.आई.आर. पर दिनांक 27–05–2019 का अंकन है। यह भी सही है कि अभियुक्तगण पर ट्रेक्टर ट्रोली में बैठकर आना तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में अंकित नहीं है। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–1 में अभियुक्तगण की कृषि भूमि घटनास्थल के पास होना तथा किस विशेष दिशा में अभियुक्तगण के भागने का अंकन नहीं है, गवाह ने फिर कहा कि अभियुक्तगण का कुआ दर्शित है। अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी पक्ष को कुए से निकालकर भागते हुए को घेरा देकर पीटा हो, इसका अंकन तहरीरी रिपोर्ट में नहीं है तथा आहतगण के वक्त घटना पहने हुए कपड़े जब्त नहीं किए थे। यहसही है कि तहरीरी रिपोर्ट में 12 व्यक्तियों के द्वारा मारपीट करना बताया है तथा उसके अनुसंधान में केवल 07 व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना गया है। घटना के समय घटनास्थल के आसपास खेत वाले मजदूर नहीं होने से उनसे अनुसंधान नहीं किया तथा आहतगण बयान देने की स्थिति में हैं या नहीं, इस संबंध में चिकित्सीय अधिकारी से लिखित में राय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन पत्रावली में पेश नहीं है। मेरे अनुसंधान के दौरान मजरूबान के बयान लिए, उस समय मजरूबान स्वस्थचित्त हालत में थे तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। कार्यवाही के दौरान किसी स्वतंत्र गवाहान को तलब नहीं किया गया। यह सही है कि प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का पाईप व लाठिया आमतौर पर घरों पर मिल जाती है तथा उन पर खून नहीं लगा हुआ था। यह सही है कि नक्शा–मौका में परिवादी पक्ष का कुए में इंजिन लगा हुआ हो तथा अभियुक्तगण ने इंजिन को क्षतिग्रस्त कर दिया हो, इसका अंकन नहीं है, न ही क्षतिग्रस्त इंजिन को जब्त किया, न ही कोई फर्द बनाई। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने आहतगण के साथ मारपीट नहीं की हो तथा परिवादी पक्ष ने कुआ बांधने के दौरान बल्ली फण्टा टूट जाने के कारण कुए में गिरने से आहतगण के चोटें आई हो तथा उसके द्वारा प्रकरण में सही अनुसंधान नहीं किया हो और अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया हो।

51– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 427/149 भा.दं.सं.** का प्रश्न है तो गवाह पी.ड.–2 राजकुमार, पी.ड.–3 रामदेव, पी.ड.–4 लादी, पी.ड.–5 राधा, पी.ड.–6 हरिकिशन, पी.ड.–7 हगामा, पी.ड.–8 सांवरलाल, पी.ड.–11 शंकर, पी.ड.–12 गोवर्धन, पी.ड.–13 सीताराम के द्वारा साक्ष्य नहीं दी गई है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी रामदेव के खेत में कुए पर लगे पानी के इंजिन को कुए में गिराकर रिष्टि कारित की हो। इन गवाहान की पुष्टि गवाह पी.ड.–21 रामेश्वरलाल अनुसंधान अधिकारी के बयानों से हो रही है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 427/149 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल

रहा है।

52– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 307/149 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है। अभियोजन पक्ष को धारा 307 भा.दं.सं. के आरोप को साबित करने के लिए दो आवश्यक सहघटक को साबित करना है–

1. हत्या करने का इरादा या ज्ञान.
2. हत्या करने का वास्तविक प्रयास.

53– इस प्रकार इसमें आवश्यक इरादा (Men Rea) और कृत्य (Actus Recus) साबित किया जाना चाहिए। आरोपीगण का इरादा वास्तविक चोट और आसपास की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और प्रहार की गंभीरता को इरादे का अनुमान लगाने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। परिस्थितियों का समग्र रूप से विवेचन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का मुख्य उद्देश्य परिवादी/आहतगण को खेत में जाने से रोकना या डराना था। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण के द्वारा तथाकथित रूप से इस्तेमाल किया गया हथियार साधारण बांस की लाठी थी, जो उपयोग के तरीके के आधार पर चोट गम्भीर पहुंचाने में सक्षम हो, लेकिन वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर उसे स्वाभाविक रूप से घातक हथियार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि अभियुक्तगण ने इतनी क्रूरता या उग्रता से हमला जारी रखा, जिससे स्पष्ट रूप से मृत्यु कारित का इरादा प्रकट हो। अभियुक्तगण का आहत हगामा की मृत्यु कारित करने का इरादा या ज्ञान होता तो उनके द्वारा आहत हगामा के सिर पर एक से अधिक बार वार किया जाता। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 307/149 भा.दं.सं. को साबित करने में असफल रहा है।

54– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 354/149 भा.दं.सं. के आरोप का प्रश्न है।** अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना हैकि अभियुक्तगण के द्वारा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा अभियुक्तगण का आशय उस महिला की लज्ञा भंग करना तथा अभियुक्तगण को यह स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि उनके इस कृत्य से महिला की लज्ञा भंग होगी। उपरोक्त कानूनी सहघटक के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड.–4 लादी के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि आज से 09 महिने पूर्व शाम को लगभग चार साढ़े चार बजे गांव सनोदिया में स्थित डाई नदी में कुआ बांध रहे थे। उस समय अभियुक्तगण अमरा, सूरजकरण, जीवराज, नारायण, अशोक, मुकेश, प्रहलाद आए व आते ही कुल्हाड़ी, पाईप, लाठियों से उनके साथ मारपीट की तथा उसकी लूगड़ी अशोक व मुकेश ने खींची थी। उसके बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी–6 लिए गए थे। पी़डिता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–6 का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने साक्ष्य दी है कि वह तथा उसके परिवारजन खेत पर काम कर रहे थे, तब अमरा, सूरज, नारायण, अशोक, मुकेश, प्रहलाद, जीवराज और कई व्यक्ति आए, जिनके नाम उसे नहीं पता, ने हम सभी के

लाठी, पाईप व कुल्हाड़ी व लात–घूंसों से मारपीट की। मुझे नहीं पता कि किसने, किसको मारा। मेरी लूगड़ी इन्होंने खींची, जिससे फट गई।

55– पी़डिता के बयानों से यह साबित नहीं है कि अभियुक्तगण का आशय पी़डिता पर आपराधिक बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए उसकी लज्ञा भंग करने का रहा हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 354/149 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

56– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 147, 323/149, 341/149, 325/149 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान पी.ड.–2 राजकुमार के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 25–05–2019 को शाम को लगभग 4.30 बजे सनोदिया गांव में स्थित डाई नदी के पास अभियुक्तगण ने रामदेव, हगामा, राधा, लादी के साथ लकड़ी, सरिए, पाईप से मारपीट कर चोटें कारित की। गवाह पी.ड.–3 रामदेव परिवादी/आहत ने साक्ष्य दी है कि अभियुक्तगण के द्वारा लकड़ी, पाईप, सरिए आदि से उसके व हगामा, लादी के साथ मारपीट की तथा उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गवाह पी.ड.–4 लादी आहता के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि आज से लगभग 09 महिने पहले चार साढ़े चार बजे कुए के पास काम कर रहे थे, उस समय सूरजकरण, जीवराज, नारायण, अशोक, मुकेश, प्रहलाद, अमरा तथा दो के नाम याद नहीं है, ने आते ही उनके साथ पाईप, लकड़ी से मारपीट की तथा उसे कुल्हाड़ी से भी मारा तथा पांव काट दिए तथा चोटें आई। इसी तरह से गवाह पी.ड.–5 राधा आहता के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण ने उसके, रामदेव, लादी, हगामा के साथ लाठी, कुल्हाड़ी से मारपीट की, जिससे उनके चोटें आई। गवाह पी.ड.–7 हगामा के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसके बयान से करीब साढ़े नौ महिने पहले शाम साढ़े चार बजे हम रामदेव, सांवरा, लादी, राधा, श्रीकिशन, गोरधन, सुनीता आदि डाई नदी में कुए पर काम कर रहे थे। उस समय अभियुक्तगण अमरा, सूरजकरण, जीवराज, अशोक, गिरधारी, मुकेश तथा इनकी औरतें ट्रेक्टर में आए तथा आते ही कुल्हाड़ी सरिए व पाई से मारपीट शुरू कर दी तथा उसके दोनों हाथ, पैर टूट गए तथा सिर पर चोट आई। गवाह पी.ड.–6 हरिकिशन, पी.ड.–8 सांवरलाल, पी.ड–12 गोवर्धन, पी.ड.–13 सीताराम के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण ने हगामा, रामदेव, लादी, राधा के साथ लाठी, कुल्हाड़ी, सरिए, पाईप से मारपीट की थी, जिससे उनके चोटें आई थी। आहता लादी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट में आई चोटों के कारण ईलाज हेतु राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर में भर्ती रही है, जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–71 व 72 से हो रही है। आहतगण राधा, लादी, हगामा व रामदेव के शरीर पर आई चोटों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्षी गवाह पी.ड.–18 डा. अखिलेश के बयानों से हो रही है। हालांकि बचाव पक्ष के द्वारा आहत हगामा को जिरह में यह सुझाव दिया गया कि चालीबल्ली का पेड़ कुआ बंधाई के दौरान टूट जाने से चोटें आई, जिस सुझाव को गवाह ने अस्वीकार कर कथन किया है कि यह कहना गलत है कि चालीबल्ली का पेड़ कुआ बांधने के दौरान टूट गया हो, जिसके कारण उनके चोटें आई हों तथा यह कहना भी गलत है कि अभियुक्तगण ने हमारे साथ मारपीट नहीं की हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं./351

बी.एन.एस.एस. के बयानों में मात्र कथन किया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्तगण के द्वारा आहतगण के चोटें कारित नहीं की गई हो, इसका खण्डन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी/आहतगण के साथ उनका सदोष अवरोध कारित करते हुए लाठी, सरिए आदि से मारपीट कर उनके स्वेच्छया साधारण एवं गम्भीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323/149, 341/149, 325/149 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित है।

57– अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 427/149, 354/149, 307/149 भा.दं.सं. को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त धाराओं में दोषमुक्ति के अधिकारी हैं व अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 341/149, 323/149, 325/149 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

– आ दे श –

58– अतः अभियुक्तगण **(1) सूरजकरण** पुत्र नन्दा आयु 45 वर्ष, **(2) मुकेश कुमार** पुत्र सूरजकरण आयु 21 वर्ष, **(3) प्रहलाद** पुत्र अमरा आयु 19 वर्ष, **(4) रतनलाल** पुत्र सूरजकरण आयु 19 वर्ष, **(5) अशोक कुमार** पुत्र अमरा आयु 21 वर्ष व **(6) जीवराज** पुत्र जसराज आयु 28 वर्ष, निवासी गोयला, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.) को धारा 427/149, 354/149, 307/149 भा.दं.सं. हेतु सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है व अभियुक्तगण को अपराध आरोप अन्तर्गत धारा 341/149, 323/149, 325/149 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या–2</u>

59– सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों

का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

60– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को विधि में विहित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

61– सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। हालांकि अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्तगण की आयु व अपराध की प्रकृति के मद्देनजर अभियुक्तगण के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाया जाकर अभियुक्तगण को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– **द ण् डा दे श** –

62– अतः अभियुक्तगण (1) **सूरजकरण** पुत्र नन्दा आयु 45 वर्ष, (2) **मुकेश कुमार** पुत्र सूरजकरण आयु 21 वर्ष, (3) **प्रहलाद** पुत्र अमरा आयु 19 वर्ष, (4) **रतनलाल** पुत्र सूरजकरण आयु 19 वर्ष, (5) **अशोक कुमार** पुत्र अमरा आयु 21 वर्ष व (6) **जीवराज** पुत्र जसराज आयु 28 वर्ष, निवासी गोयला, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341/149, 323/149, 325/149 भा.दं.सं. में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्तगण 10,000/–रूपए राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर इस आशय के तस्दीक करावें कि–

(1) वे दौराने परिवीक्षा शांति व सदाचार बनाए रखेंगे,
(2) अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा
(3) न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा पाने के लिए उपस्थित रहेंगे तो

उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त 1000/–रूपए (अक्षरे एक हजार रूपए मात्र) कुल 6,000/–रूपए (कुल छः हजार रूपए मात्र) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा कराएंगे।

63– आहतगण के कारित चोटों की प्रकृति के मद्देनजर धारा 357एदं.प्र.सं./386 बी.एन.एस.एस. के तहत Victim compensation Scheme एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को अनुशंसा नहीं की जाती है।

64– अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत, मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपील होने की सूरज में अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए दं.प्र.सं./481

बी.एन.एस.एस. के तहत 25,000—25,000/—रूपए के जमानत, मुचलके न्यायालय में पेश करे।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या—1, केकड़ी, जिला अजमेर.

65— निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 04.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN

Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.06.05 13:38:06 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या—1, केकड़ी, जिला अजमेर.

———————